कड़ी कार्रवाई करने की मांग

ठीक ऐसे ही वीर दास की बातें किसी को अच्छी तो किसी को बुरी लग सकती हैं। कुछ लोग उन बातों से सहमत होते हुए भी यह राय रख सकते हैं कि वे विदेशी धरती पर नहीं कही जानी चाहिए थीं। मगर ये अलग-अलग राय वीर दास के कार्य को अपराध नहीं बना देतीं।

नवीन वर्मा।।

जाने–माने कमीडियन और ऐक्टर वीर दास ने वॉशिंग्टन के केनेडी सेंटर में हुए अपने कार्यक्रम की एक विडियो क्लिप अपलोड करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया। विडियो हालांकि देखते–देखते वायरल हो गया, लेकिन आई कम फ्रॉम टू इंडियाज.. के जरिए इसमें कही गई बातें पीछे छूट गईं। बहस इस पर शुरू हो गई कि उन्हें विदेशी धरती पर ऐसी बातें कहनी चाहिए या नहीं। दिल्ली में एक बीजेपी नेता ने फटाफट पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी। वीर दास के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वालों में बॉलिवुड ऐक्ट्रेस कंगना रनौत भी शामिल हैं। उन्होंने इन्स्टाग्राम पर एक पोस्ट में वीर दास को अपराधी और उनके कृत्य को सॉफ्ट टेररिज्म करार देते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

दिलचस्प बात है कि खुद कंगना अपने ताजा बयानों के कारण घिरी हुई हैं। उनका पद्मश्री सम्मान वापस लेने और उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग कई पार्टियों ने की है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि वह उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी। हालांकि इसमें संदेह नहीं कि कंगना ने जिस तरह से 1947 में देश को मिली आजादी को भीख करार देते हुए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का अपमान किया, उसका किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता।

यह भी सच है कि एक बार ऐसा कहकर वह चुप नहीं हुईं, पिछले बयान को सही साबित करने की कोशिश में ऐसी बातें दोहराईं , जिन्हें कोई भी समझदार व्यक्ति बेतुका ही मानेगा। लेकिन बेतुकी बातें करना अपराध नहीं है। न ही सजा देकर किसी को समझदार बनाया जा सकता है। ठीक ऐसे ही वीर दास की बातें किसी को अच्छी तो किसी को बुरी लग सकती हैं। कुछ लोग उन बातों से सहमत होते हुए भी यह राय रख सकते हैं कि वे विदेशी धरती पर नहीं कही जानी चाहिए थीं। मगर ये अलग–अलग राय वीर दास के कार्य को अपराध नहीं बना देतीं।

आजकल देश में यह नया ट्रेंड ही चल गया है कि कोई भी किसी भी बात पर उठकर अपनी भावनाएं आहत होने की बात करने लगता है और इस क्रम में पुलिस और प्रशासन को शामिल कर लेता है। सरकारों और राजनीतिक दलों का रवैया भी इस ट्रेंड को किसी भी रूप में हतोत्साहित करने वाला नहीं लगता। इससे न केवल सरकारी तंत्र की सीमित ऊर्जा निरर्थक कार्यों में जाया होती है और उसकी कई जरूरी जिम्मेदारियां अनदेखी रह जाती हैं बल्कि विचार अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता पर बेवजह बंदिशें लगती हैं और समाज की रचनात्मकता प्रभावित होती है।

जहां तक कानून–व्यवस्था से जुड़े पहलू का सवाल है तो यह बात अदालतों के फैसलों से भी बार–बार रेखांकित होती रही है कि किसी के भी, कैसे भी बयान मात्र को देशद्रोह नहीं माना जा सकता। सभ्य और लोकतांत्रिक आचरण का तकाजा है कि जब तक स्पष्ट रूप से किसी कानून का उल्लंघन न हो रहा हो, तब तक ऐसे मामलों में सहमति या असहमति जताना काफी माना जाए।

धर्मशास्त्र

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। धर्मशास्त्र में जब भी असुरों (दानवों) की चर्चा होती है, यह कहा गया है कि उनका निवास स्थल पाताल है जबकि देवता स्वर्ग में अपने सम्राट इंद्र के साथ रहते थे। शक्ति माहात्म्य को सिद्ध करने वाले ग्रन्थ दुर्गा सप्तशती में शक्ति शिव से कहती है कि वे जा कर शुम्भ–निशुम्भ से कहे कि यदि वे जीवित रहने की इच्छा रखते हैं तो वे देवताओं को स्वर्ग का साम्राज्य लौटा दे और खुद पाताल में चले जाएं। यह बात तब थोड़ी अटपटी लगती है जब यह जान लिया जाए कि देवता और दानव (सुर और असुर) दोनों देव ऋषि कश्यप की संतान है फिर दानवों को बार–बार स्वर्ग से निकालकर पाताल जाने के लिए क्यों कहा जाता है? किसी समय विष्णु भक्त पहलाद ने इस प्रश्न को देवी से किया। (प्रहलाद हिरण्यकश्यप की संतान थे, जो महर्षि कश्यप और दिति से उत्पन्न हुए थे।)

संपादकीय

शिक्षा और रोजगार

एक पहलू यह भी है कि बच्चे जल्दी न हों, नहीं तो महिलाओं का स्वास्थ्य खराब होगा। इसके लिए जबरदस्ती कानून लाने का तरीका ठीक नहीं है। सही तरीका यह होगा कि शिक्षा और रोजगार के स्तर पर विमिन एंपावरमेंट को तवज्जो दी जाए। पिछले लगभग 20 वर्षों से हमारे देश में महिलाओं में जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, वह घटता आ रहा है। वह इसलिए घटता आ रहा है कि महिलाओं के लिए खेती के अलावा कामकाज का विकल्प ही नहीं है। अगर पढ़ी–लिखी भी हों, तो उन्हें उस तरह की नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर पढ़ने–लिखने का मौका दिया जाए, नौकरी दी जाए और समाज में ऐसी स्थिति बनाई जाए जहां असुरक्षा न हो, तो अपने–आप शादी की उम्र बढ़ जाएगी। इस तरह का कानून लाने से उसका इस्तेमाल लड़कियों को उनकी पसंद चुनने से रोकने और उनकी फ्रीडम को कम करने के लिए किए जाने का डर रहेगा। पूरी दुनिया में हम जहां भी देखें, लड़के–लड़कियों के लिए शादी की उम्र सीमा 18 साल ही होती है। अगर महिलाओं की स्थिति को हम बेहतर करना चाहते हैं, तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। जैसे अबॉर्शन रोकना, हिंसा रोकना, दहेज खत्म करना। ज्यादा अच्छा होता कि सरकार इन चीजों पर ज्यादा जोर देती।

देश में यह प्रयास चल रहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी न हो। अब हालात बदल गए हैं और 56 प्रतिशत लड़कियों की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में होने लगी है।

कानून काफी नहीं

दीपा सिन्हा।।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लड़कियों की शादी की कानून उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की मंजूरी दी है। हालांकि इसके पीछे मुख्य कारण कम उम्र में होने वाली शादियों को रोकना है, फिर भी इसकी गहराई में जाएं तो कई बातें सामने आती हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आंकड़ों की बात करें, तो नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे–5 से यह बात निकली है कि 23 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होती है। देश में यह प्रयास चल रहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी न हो। अब हालात बदल गए हैं और 56 प्रतिशत लड़कियों की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में होने लगी है। अगर कानून आ जाता है तो 21 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादियां गैरकानूनी हो जाएंगी। इसका मतलब यह हो जाता है कि आज के समय में जितनी शादियां हो रही हैं, उसकी आधी शादियां गैरकानूनी की श्रेणी में आ जाएंगी।

इस कानून को कैसे लागू किया जाए, यह ठीक से समझने की जरूरत है। पहली बात, कम उम्र की शादियों का मामला अब घटता जा रहा है। 15–20 सालों से देखा जा रहा है कि लड़कियों की शादी की औसत उम्र बढ़ रही है। इसके अलग–अलग कारण हैं। विस्तार में न भी

जाएं तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि सिर्फ कानून पारित होने से शादी की उम्र नहीं बढ़ेगी। उसके लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। यह भी कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने का बहुत कुछ लॉजिक नहीं है। 18 से कम उम्र में वे बच्चे होते हैं और बच्चों का अपना हक होता है। यह माना जाता है कि 18 साल तक लोग अपने–आप निर्णय नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल मच्योरिटी अभी आई नहीं होती है। लेकिन 18 साल के बाद जब हम कहते हैं कि वे सरकार चुन सकती हैं या कोई और भी निर्णय ले सकती हैं, तो शादी क्यों नहीं कर सकतीं? चाइल्ड मैरिज कानून का ज्यादातर इस्तेमाल कौन करता है? यदि इस मसले को हम देखें तो माता–पिता और समुदाय इसका इस्तेमाल तब करते हैं, जब लड़की अपने मन से शादी करना चाहती है। माता–पिता जब उस शादी को पसंद नहीं करते हैं, तब लड़कियां घरों से भाग जाती हैं और चॉइस मैरिज करना चाहती हैं। ऐसे में लड़की के माता–पिता उस कानून का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि लड़की अपनी मर्जी से शादी न करे और उसे घर वापस लाया जा सके। अब तक जो कानून चला है, वह लड़कियों की तरफ से नहीं चला है, बल्कि उनके खिलाफ चला है। यह भी सोचने की जरूरत है कि कम उम्र में होने वाली शादियां रोकने के लिए कानून बनाने के साथ–साथ और क्या स्टेप्स लेने चाहिए।

हम फिर से अपने अनुभवों से देखें कि बाल विवाह क्यों होता है, किन परिवारों में होता है तो स्पष्ट होता है कि ज्यादातर गरीब और कम पढ़े–लिखे परिवारों में ऐसा होता है। ये परिवार क्यों ऐसा फैसला करते हैं? इसका एक बड़ा कारण यह भी सामने आता है कि माता–पिता को अपनी बेटी की सेफ्टी की बहुत चिंता होती है। उन्हें लगता है कि जब लड़की मच्योर हो जाए तो ज्यादा समय उसे घरों में रखेंगे तो पता नहीं उसे सुरक्षित रख पाएंगे या नहीं। समाज क्या कहेगा? स्पष्ट है कि कानून से ज्यादा जरूरी है ऐसा माहौल बनाना, जिससे यह डर नहीं रहे।

सूडोकु बवाल-5319

मध्यम

4			9		6	1		8
6	8							
	1	7	3	8		4		
3	4		6		7			9
5		1	8			2		7
2			5		1		8	4
		3		7	5	8	6	
							9	5
7		6	2		8			1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु बवाल -5318 का हल

2	9	8	3	5	6	1	7	4
4	5	3	2	1	7	9	8	6
7	1	6	4	8	9	2	5	3
8	2	5	6	9	1	3	4	7
3	6	4	7	2	5	8	1	9
1	7	9	8	3	4	5	6	2
5	4	1	9	7	2	6	3	8
6	3	2	1	4	8	7	9	5
9	8	7	5	6	3	4	2	1

अपना ब्लॉग

शादी की औसत उम्र खुद ही बढ़ जाती है

मोहन। अगर आसपास स्कूल, कॉलेज अच्छे हों, पढ़ाई करने के बाद लड़कियों को नौकरियां मिल रही हों, तब अपने आप ही देखा गया है कि शादी की औसत उम्र खुद ही बढ़ जाती है। एक और जो कारण दिया जाता है कि बाल–विवाह को रोकना जरूरी है तो इसमें देखा जाता है कि लड़कियां किस लेवल तक पढ़ती हैं। लड़कियों को हम जितना पढ़ाएंगे, बाल विवाह उतना कम होगा, न कि जोर–जबर्दस्ती करके अरेंज्ड मैरिज बढ़ाने की कोशिश करने पर। यह अपने आप नहीं होगा। स्कूलों में टॉयलेट की सुविधा दी जाए, स्कूल आने–जाने के आसान साधन उपलब्ध हों, तभी लड़कियां पढ़ पाएंगी। ऐसे में खुद–ब–खुद लड़कियों की सुविधा के अनुरूप माहौल बनेगा। उन्हें समझाना होगा कि लड़कियां पढ़ाई करना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, तो उन्हें ऐसा करने देने में कोई हर्ज नहीं है। यह भी कि शादी के लिए जल्दीबाजी करने की कोई ठोस, तर्कसंगत वजह नहीं है।